दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

<u>सि.वा. (मू.प.) 1612/1989 में</u>
<u>अं.आ. सं.2381/2000, 7387/1999, 13850/2006</u>

सुरक्षित: 02.04.2008
उद्घोषित: 20.08.2008

पी.एम. डीज़ल लिमिटेड वादी

द्वारा : श्री सुदीर चंद्र, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री आर.के. अग्रवाल, श्री वाई.जे. जसानी, अधिवक्तागण

बनाम

पटेल फ़ील्ड मार्शल इंडस्ट्रीज़ प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री शैलेन भाटिया और सुश्री एकता, अधिवक्तागण

20.08.2008

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. रवींद्र भट:</u>

1. यह आदेश आदेश VII, नियम 11, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके पश्चात् 'सि.प्र.सं.') के अंतर्गत प्रतिवादी के आवेदन का निपटान करेगा।

2. इस आदेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक वर्तमान विवाद के तथ्य निम्नानुसार हैं। इस शाश्वत व्यादेश के लिए दायर वाद में वादी ने प्रतिवादी को PATEL FIELD MARSHAL AGENCIES के साथ-साथ PATEL FIELD MARSHAL INDUSTRIES के रूप में व्यापार शैली का उपयोग करने से रोकने की माँग की है, जिसमें वादी के समान प्रकार और वर्णन के अपने माल का विपणन करने के लिए वादी का संपूर्ण व्यापार चिह्न FIELD MARSHAL शामिल है, तथा प्रतिवादीगण द्वारा अर्जित लाभ के लेखे देने की माँग की है।

3. वादी एक विधिवत निगमित कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय राजकोट, गुजरात में है। यह डीज़ल तेल इंजन, केन्द्रापसारक पंप, इलेक्ट्रिक मोटर और उनके घटक भागों के निर्माण, निर्यात और विपणन में लगी हुई है। यह प्रकथन किया गया है कि वर्ष 1963 से, वादी और उसके हक के पूर्वाधिकारी उपरोक्त वस्तुओं के लिए व्यापार चिह्न “Field Marshal” का उपयोग कर रहे हैं और यह चिह्न व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 (इसके बाद "अधिनियम") के अंतर्गत पंजीकृत (शब्द चिह्न के लिए सं. 224879 / वर्ग 7; शैलीकृत शब्द चिह्न के लिए सं. 252070 / वर्ग 7 और लोगो के लिए सं. 252071 / वर्ग 7) भी है। वादी ने प्रतिलिप्यधिकार

अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अपने लेबल के लिए ए-42681/1983 के अधीन पंजीकरण का भी प्रकथन किया है। यह दावा किया गया है कि उपरोक्त कलात्मक कार्य का उपयोग वादी के सभी व्यापार रचनाओं में बड़े पैमाने पर किया गया है, जिसमें बिल बुक, पैम्फ़लेट, स्टिकर आदि शामिल हैं। वादी ने अपने टर्नओवर और चिह्न के प्रचार पर किए गए व्यय के बारे में भी प्रकथन किया है तथा इस संबंध में दस्तावेज़ भी दाखिल किए हैं। वादीगण द्वारा किए गए व्यापक प्रचार, उसके माल की बेहतर गुणवत्ता, इन वर्षों में बनी प्रतिष्ठा और साख तथा चिह्न के निरंतर और व्यापक उपयोग के कारण, यह दावा किया जाता है कि यह चिह्न वादी के माल के साथ स्पष्ट रूप से संबद्ध हो गया है।

4. प्रथम प्रतिवादी डीज़ल तेल इंजन और उसके घटक भागों का निर्माता है। द्वितीय प्रतिवादी पूर्व द्वारा निर्मित माल का विपणन और विक्रय करता है। दावा किया जाता है कि दोनों संस्थाओं का प्रबंधन और नियंत्रण श्री जी.डी. पटेल और उसके बेटे श्री आरजी पटेल द्वारा किया जाता है। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादीगण एक ही परिसर से अपना व्यवसाय चला रहे हैं और उनके साझा भागीदार हैं। वादी का आरोप है कि द्वितीय प्रतिवादी 1965 और 1970 के बीच उसके माल का वितरक था, जब बाद वाला केवल वादी द्वारा निर्मित माल बेचता था, उस दौरान उसने 'Patel Field Marshal Agencies' चिह्न अपनाया था।

5. वादी का प्रकथन है कि 1982 में और उसके बाद 1983 में उसे पता चला कि प्रतिवादीगण ने 'Patel Field Marshal Industries' और 'Patel Field Marshal Agencies' चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। वाद में प्रकथन किया गया है कि कैसे वादी ने प्रतिवादीगण को पत्र लिखकर उनसे उक्त चिह्न का उपयोग न करने और आवेदन वापस लेने के लिए कहा, जिसका अनुपालन नहीं किया गया। रजिस्ट्रार ने वादी द्वारा उठाए गए विरोध की कार्यवाही पर द्वितीय प्रतिवादी के आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि बाद वाले ने बेईमानी से वादी के चिह्न को हड़पने का प्रयास किया है। दावा किया जाता है कि 'Patel Field Marshal Industries' चिह्न के संबंध में प्रथम प्रतिवादी के आवेदनों के विरुद्ध विरोध की कार्यवाही वाद दायर करने के समय लंबित है।

6. यह प्रकथन किया गया है कि जून 1989 में, वादी को पता चला कि प्रतिवादीगण के भागीदार एक कंपनी को शामिल करने की योजना बना रहे थे, जिसकी व्यापारिक शैली में 'Field Marshall' शब्द शामिल था, जो कंपनी वादी के समान वस्तुओं के संबंध में व्यवसाय करने वाली थी। इसलिए, वादी ने समाचार पत्रों में सावधानी नोटिस प्रकाशित किए और कंपनी निबंधक, अहमदाबाद को कंपनी के निगमन पर आपत्ति जताते हुए पत्र भी लिखा। वाद दायर करने के समय वह कार्यवाही लंबित थी। वादी का दावा है कि प्रतिवादीगण इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि वादी 'Field Marshall'

चिह्न का स्वत्वधारी रहा है और वे उपरोक्त कृत्यों के माध्यम से, बेईमानी और अवैध रूप से चिह्न से जुड़ी वादी की साख को हड़पने का प्रयास कर रहे थे।

7. वादी निम्नलिखित रूप में इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अवलंब लेता है:

> *"29. वर्तमान वाद के लिए वादीगण के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद हेतुक सबसे पहले वर्ष 1982 में उठा जब प्रतिवादी सं. 1 ने व्यापार चिह्न MARSHAL के पंजीकरण के लिए आवेदन किया और वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 23.7.82 को नोटिस दिया। वाद हेतुक पुनः तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण को व्यापार चिह्न पत्रिका सं. 823 दिनांक 16.09.83 से पता चला कि प्रतिवादी सं. 2 ने समान प्रकार के माल के संबंध में व्यापार चिह्न (लोगो) PFMA के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था और वादीगण ने इसके विरुद्ध विरोधी नोटिस दायर किया। वादीगण ने इस मामले में प्रतिवादीगण के विरुद्ध न्यायालय में कोई विधिक कार्रवाई करना उचित नहीं समझा तथा अपने विरोधी आवेदनों के निर्णय आने तक प्रतीक्षा करना उचित समझा और इस प्रकार 30.04.1988 को वाद हेतुक उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी सं. 2 के उक्त आवेदनों को व्यापार चिह्न निबंधक, बम्बई द्वारा पंजीकरण के लिए अस्वीकार कर दिया गया। अंतिम रूप से वाद हेतुक जून, 1989 के महीने में उत्पन्न हुआ, जब वादी को व्यापार से पता चला कि प्रतिवादीगण के भागीदार कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक कंपनी बनाने जा रहे थे, जिसका प्रस्तावित नाम कंपनी की व्यापारिक शैली में FIELD MARSHAL शब्द को शामिल करता है। इस प्रकार, वाद हेतुक दिन-प्रतिदिन तब तक जारी रहता है जब तक कि प्रतिवादीगण को उक्त व्यापार चिह्न MARSHAL के अंतर्गत किसी भी तरह के माल के लेन-देन करने, PFMA और PFMI लोगो तथा PATEI FIELD*

MARSHAL AGENCIES और PATEL FIELD MARSHAL INDUSTRIES ट्रेडिंग शैली का प्रयोग करने से रोक नहीं दिया जाता। प्रतिवादीगण ने प्रतिलिप्यधिकार सं. ए-42691/1983 के अंतर्गत पंजीकृत लेबल की नकल करके वादी के कानूनी अधिकार का भी उल्लंघन किया है।

30. यह कि आक्षेपित व्यापार चिह्न वाले पक्षकारगण का माल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी बेचा जाता है। व्यापार चिह्न पत्रिका सं. 823 दिनांक 16.09.83 और सं. 876 दिनांक 1.12.85 तथा पत्रिका सं. 913 दिनांक 16.4.88 को व्यापार चिह्न निबंधक द्वारा भारत में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित, आक्षेपित व्यापार चिह्नों के पंजीकरण के लिए प्रतिवादीगण के आवेदनों के संबंध में प्रकाशित किए गए थे। इसलिए, इस माननीय न्यायालय के पास वर्तमान वाद पर विचार करने और सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 62 (2) को ध्यान में रखते हुए इस माननीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र भी आकर्षित होता है।"

8. इस प्रकार वादी तीन आधारों पर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अवलंब लेना चाहता है; पहला, कि माल दिल्ली में बेचा जाता है; दूसरा, प्रतिवादी के आवेदन दिल्ली में प्रसारित व्यापार चिह्न पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे; और तीसरा, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम की धारा 62(2) के आधार पर।

9. इस न्यायालय ने 9-7-92 के अपने आदेश द्वारा, आदेश VII नियम 10 सि.प्र.सं. के अंतर्गत एक आवेदन (अं.आ. 11145-46/92) का निपटान करते हुए कहा था कि चूँकि लिखित बयान में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का प्रश्न उठाया गया था, इसलिए इस पर बाद में गुणागुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। बाद में, आदेश 39, नियम 1 और 2 के अंतर्गत वादी के आवेदन (अं.आ. 4465/89)

पर एक आदेश के दौरान, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वादी यह स्थापित करने में असमर्थ रहा है कि दिल्ली के न्यायालयों के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, और तदनुसार वाद वापस कर दिया गया। दिनांक 29 सितंबर, 1995 को जारी वह आदेश एक अपील में लिया गया, जिसका निर्णय 10-3-1998 को हुआ था। खंड पीठ के निर्णय ने वादी की अपील को अनुमति दे दी और अभिनिर्धारित किया कि व्यापार चिह्न पत्रिका में एक विज्ञापन का प्रकाशन इस न्यायालय को वाद पर विचार करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त वाद हेतुक बनता है। न्यायालय ने प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 62(2) के आधार पर वाद की स्थिरता के प्रश्न पर भी निष्कर्ष प्रस्तुत किए। खंड पीठ का आदेश *मैसर्स पी.एम. डीज़ल्स लिमिटेड बनाम मैसर्स पटेल फ़ील्ड मार्शल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड* ए.आई.आर. 1998 दिल्ली 225 के रूप में प्रतिवेदित किया गया है। प्रतिवादी विशेष अनुमति से मामले को आगे की अपील में उच्चतम न्यायालय में ले गया। उस अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई और मामले को विचार के लिए खंड पीठ को प्रतिप्रेषित कर दिया गया।

10. उच्चतम न्यायालय का निर्णय *मैसर्स ढोधा हाउस बनाम एस. के. मैंगी तथा मैसर्स पी.एम. डीज़ल्स लिमिटेड बनाम मैसर्स पटेल फ़ील्ड मार्शल इंडस्ट्रीज़ एवं अन्य* ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 730 के रूप में प्रतिवेदित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत हैं:

"12. उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष, दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में तीन प्रतिविरोध उठाए गए हैं; पहला, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 62 के अंतर्गत, दूसरा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादीगण ने दिल्ली में व्यापार चिह्न के पंजीकरण की माँग की थी, और तीसरा, प्रतिवादीगण दिल्ली में आक्षेपित व्यापार चिह्न के अंतर्गत माल बेच रहे हैं और इस प्रकार, दिल्ली में वादी के अधिकार का उल्लंघन किया गया था।

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

16. खंड पीठ तीसरे प्रश्न पर नहीं गई।

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

41. हालाँकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसमें उठाए गए तीसरे प्रतिविरोध पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि यह प्रश्न कि क्या प्रतिवादीगण दिल्ली में वाणिज्यिक पैमाने पर अपना उत्पाद बेच रहे थे, तथ्य का प्रश्न है और इसलिए, यदि पक्षकारगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो इसका उचित रूप से निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

48. पटेल फ़ील्ड मार्शल (पूर्वोक्त) में फिर से ज़ोर व्यापार चिह्न पत्रिका और अन्य स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापार चिह्नों के पंजीकरण के लिए अपीलार्थी द्वारा उत्पादों के विक्रय और/या विज्ञापन पर था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी दिल्ली में अपने उत्पाद को व्यावसायिक पैमाने पर बेच रहा था या नहीं। इसलिए, हमारे लिए भी उक्त प्रश्न पर आगे विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है। हमने पहले भी उल्लेख किया है कि किसी पत्रिका या समाचार पत्र में छपने वाले

विज्ञापन से न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं मिलता, यदि उसके पास अन्यथा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

53. सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार केवल दो वाद-हेतुकों के जुड़ने के कारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का अवलंब लेने के उद्देश्य से, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि इस प्रकार अधिकार क्षेत्र उस न्यायालय को प्रदान किया जा सकता है, जिसके पास केवल एक वाद-हेतुक के संबंध में वाद का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र था, न कि दूसरे का। हालाँकि, किसी दिए गए मामले में अतिरिक्त फ़ोरम का सहारा लिया जा सकता है, यदि वाद के दोनों हेतुक उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिसके पास अन्यथा सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र था।

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

55. पटेल फ़ील्ड मार्शल (पूर्वोक्त) में, हालाँकि, हम देख सकते हैं कि बाद में एक घटनाक्रम हुआ है, अर्थात्, प्रतिप्रेषण के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने वादी-प्रत्यर्थी के पक्ष में व्यादेश दिया है और मामला खंड पीठ के समक्ष लंबित है। चूँकि हमने मामले के गुणागुण पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं, इसलिए यह उल्लेख करना अनावश्यक है कि खंड पीठ अपने सामने उठाए गए प्रश्नों को उनके गुणागुण के आधार पर निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेगी।"

11. मामला खंड पीठ को प्रतिपेषित करने के बाद, प्रतिवादी ने एक आवेदन प्रस्तुत किया। खंड पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए 11-8-2006 को यह आदेश पारित किया, जिसमें आवेदन को वापस लेने की अनुमति दी गई और इस न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी गई:

"<u>आ.प्र.अ. (मू.प.) 250/1999 में सि.वि. 838/06.</u>

मैसर्स पटेल फ़ील्ड मार्शल इंडस. एवं अन्य ... याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री शैलेन भाटिया, अधिवक्ता

बनाम

पी.एम. डीज़ल्स लिमिटेड .. प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री आर. के. अग्रवाल, अधिवक्ता

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री डॉ. मुकुंदकम शर्मा
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री हिमा कोहली,

आदेश
11.08.2006

कुछ तर्कों के बाद अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस आवेदन को वापस लेने की अनुमति माँगी है, साथ ही विद्वान एकल न्यायाधीश के पास जाने की स्वतंत्रता माँगी है। अनुमति प्रदान की जाती है। प्रार्थना के अनुसार स्वतंत्रता प्रदत्त करने के साथ वापस लिए जाने के कारण आवेदन का निपटान किया जाता है।

विद्वान एकल न्यायाधीश के अभिलेख तुरंत लौटा दिए जाएँगे। जब अपील सुनवाई के लिए ली जाएगी, तब उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

न्या. डॉ. मुकुंदकम शर्मा

न्या. हिमा कोहली

11 अगस्त, 2006."

12. इसके बाद प्रतिवादी ने वर्तमान आवेदन, अं.आ. सं. 13850/2006 प्रस्तुत किया। खंड पीठ ने 31-1-2008 को (वादी के आवेदन पर, अपने पिछले आदेश में संशोधन के लिए, प्रतिवादी को इस न्यायालय में जाने की अनुमति देते हुए) निम्नलिखित आदेश दिया:

"31.01.2008

वर्तमान अपीलार्थी: श्री अभय नाथ, अपीलार्थी का प्रॉक्सी काउंसल

सुश्री अमिता कपूर के साथ श्री शैलेन भाटिया प्रत्यर्थी की ओर से।

आ.प्र.अ. (मू.प.) सं. 232/1999.

पक्षकारगण की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता ने कहा कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन, जिसमें वादपत्र वापस करने के लिए निर्देश देने की माँग की गई है, 5 मार्च, 2008 को विचार के लिए आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को उक्त तिथि के बाद विचार के लिए लिया जाएगा। उनकी प्रार्थना के अनुसार, इस मामले को 7 मार्च, 2008 तक नहीं लिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश

रेवा खेत्रपाल
माननीय न्यायाधीश।
31 जनवरी, 2008"

इसके बाद वादी के आवेदन को खंड पीठ द्वारा निम्नलिखित ढंग से अस्वीकार कर दिया गया:

"मैसर्स पी. एम. डीज़ल्स लिमिटेड, ...

अपीलार्थी

द्वारा : कोई नहीं।

बनाम

मैसर्स पटेल फ़ील्ड मार्शल इंडस्ट्रीज़ और अन्य ...
प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री शैलेन भाटिया और सुश्री जया वर्मा, अधिवक्तागण,

कोरम :

माननीय मुख्य न्यायाधीश
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेवा खेत्रपाल

आदेश
18.03.2008

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता संभवतः ढोधा हाउस बनाम एस.के. मैंगी (2006) 9 एस.सी.सी. 41 के निर्णय के प्रकाश में विधि की स्थापित स्थिति के कारण उपस्थित नहीं हैं। अभिलेखों पर विचार करने पर, हम पाते हैं कि यह मामला ढोधा हाउस बनाम एस.के. मैंगी (2006) 9 एस.सी.सी. 41 के निर्णय द्वारा पूरी तरह से शामिल और शासित है।

अपील का निपटान उक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों के अनुसार किया जाता है, तथा पक्षकारगण अपने जुर्माने स्वयं वहन करेंगे। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त आदेश पारित करते समय, हमने ढोधा हाउस बनाम एस.के. मैंगी (2006) 9 एस.सी.सी. 41 के निर्णय के अनुपात पर विचार किया है। जहाँ तक अन्य मुद्दों का संबंध है, हमने उनके गुणागुण पर विचार नहीं किया है तथा उक्त मुद्दों को अनिर्णीत छोड़ दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश
न्या. रेवा खेत्रपाल
18 मार्च, 2008 "

13. प्रारंभ में, जब आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत अं.आ. 13850/2006 को सुनवाई के लिए लिया गया था, तो वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसकी स्थिरता पर आपत्ति जताते हुए आग्रह किया कि उस उपबंध के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता। हालाँकि, सुनवाई के दौरान, 13-3-2008 को प्रतिवादी की ओर से इस बात पर सहमति हुई कि आवेदन को आदेश VII नियम 10 के अधीन माना जा सकता है और उसी आधार पर पक्षकारगण के तर्क सुने जा सकते हैं। तदनुसार, आवेदन और अन्य आवेदनों पर उसी तिथि को सुनवाई हुई और बाद में, 2 अप्रैल, 2008 को फिर से सुनवाई हुई, जिसके बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित कर लिए।

14. विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन भाटिया ने आग्रह किया कि वादपत्र में यह प्रकट नहीं किया गया है कि वाद हेतुक का कोई भी भाग इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर वादी के पक्ष में उत्पन्न हुआ या अर्जित हुआ। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी ने हमेशा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर व्यवसाय किया है। श्री भाटिया ने अंतर-पक्षीय निर्णय में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि प्रतिलिप्यधिकार उल्लंघन से संबंधित अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दे और व्यापार चिह्न पत्रिका में वादी द्वारा विज्ञापनों के प्रकाशन दोनों पर

न्यायालय ने वादी के विरुद्ध निर्णय दिया था। इसलिए, वाद और उसके साथ दायर किए गए दस्तावेज़ों की सूची में यह प्रकट होना चाहिए कि वाद का कुछ भाग, अर्थात् प्रतिवादी के कथित अतिलंघनकारी उत्पादों के वाणिज्यिक विक्रय, दिल्ली में या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हुई। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रचुर मात्रा में दस्तावेज़ी साक्ष्य के बावजूद, प्रतिवादी के उत्पाद के किसी भी विक्रय को जोड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। इन परिस्थितियों में, वादी के इस दावे का समर्थन करने के लिए कुछ भी नहीं था कि वाद हेतुक दिल्ली में उत्पन्न हुआ था।

15. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह तय करने के लिए कि क्या इस न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र है, न केवल वादपत्र में दिए गए प्रकथनों पर बल्कि दस्तावेज़ों की सूची पर भी प्रथम दृष्टया विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने *लिवरपूल और लंदन एस.पी. एंड आई असन. लिमिटेड बनाम एम.वी. सी सक्सेस,* (2004) 9 एस.सी.सी. 512 के रूप में प्रतिवेदित किए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। विद्वान अधिवक्ता ने *डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम के. आर. इंडस्ट्रीज़* 2006 (33) पी.टी.सी. 107 के रूप में प्रतिवेदित किए गए निर्णय पर भी भरोसा किया।

16. दूसरी ओर, वादी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर चंद्र ने आग्रह किया कि न्यायालय को वर्तमान आवेदन पर निर्णय लेते समय, गुणागुण पर नहीं जाना चाहिए, या पक्षकारगण द्वारा दायर विभिन्न दस्तावेज़ों के प्रभाव पर

विचार नहीं करना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय को जाँच का दायरा इस बात तक सीमित रखना चाहिए कि क्या वादपत्र में किसी ऐसे वाद हेतुक का प्रकटीकरण किया गया है, जिसके कारण वाद दायर किया गया है, और क्या ऐसा कोई वाद हेतुक है जो, प्रकथन के अनुसार, प्रथम दृष्टया इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण के अनुसार, कोई भी अन्य दृष्टिकोण सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होगा और मामले के गुणागुण पर पूर्वाग्रह के समान होगा, जो इस स्तर पर अस्वीकार्य है। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के *यूरेका फ़ोर्ब्स लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड* 2008(पी.टी.सी.) 210 और *एल.जी. कॉर्पोरेशन एवं अन्य बनाम इंटरमार्केट इलेक्ट्रोप्लास्टर्स (प्रा.) लिमिटेड* 2006 (32) पी.टी.सी. 429 के निर्णयों पर भरोसा किया। अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया कि ऐसे मामलों में, जहाँ अतिलंघनकारी उत्पादों का विक्रय मिलना कठिन है, यदि कैश मेमो या वास्तविक विक्रय के सबूत आसानी से नहीं मिलते हैं, तो न्यायालय गुप्त विक्रय के पहलू को भी ध्यान में रखेगा और वादी के पक्ष में अनुमान लगाएगा। *लल्ली एंटरप्राइज़ेज़ बनाम धरम चंद एंड संस* 2003 (26) पी.टी.सी. 239 (डी.बी.) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया।

17. यह तर्क दिया गया कि खंड पीठ के निर्णय के बाद अंतःकालीन व्यादेश दिया गया था, जो अभी भी लागू है। उस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है। इन तथ्यों पर उच्चतम न्यायालय ने ध्यान दिया, जिसने जानबूझकर बाद की

घटनाओं के प्रभाव पर स्वयं को व्यक्त नहीं किया। इसलिए, यह आग्रह किया गया कि ये घटनाक्रम इसलिए, वादपत्र को अस्वीकार करने या वापस करने के लिए वर्तमान आवेदन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

18. इसके बाद यह कहा गया कि चूँकि प्रतिवादीगण ने पूरे देश के लिए व्यापार चिह्न के पंजीकरण की माँग की थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली के लिए भी इसकी माँग की और एक विज्ञापन जारी कराया। यह तथ्य इस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। *जवाहर इंजीनियरिंग कंपनी और अन्य बनाम जवाहर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड* ए.आई.आर. 1984 दिल्ली 166 और *फ़ाइज़र प्रोडक्ट्स इंक बनाम राजेश चोपड़ा* 2006 (32) पी.टी.सी. 301 के रूप में प्रतिवेदित किए गए निर्णयों पर भरोसा किया गया।

19. *डाबर इंडिया लिमिटेड* (पूर्वोक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूँकि प्रतिवादी आंध्र प्रदेश से था और चूँकि यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज़ी साक्ष्य नहीं था कि प्रतिवादी दिल्ली में अपना माल बेच रहा था, इसलिए इस न्यायालय के पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था। उच्चतम न्यायालय ने *ढोधा हाउस* (एक सामान्य निर्णय जो इन कार्यवाहियों से उत्पन्न वर्तमान वाद को भी अंतर-पक्षकारगण बनाता है) में *ओएनजीसी बनाम उत्पल कुमार बसु,* (1994) 4 एस.सी.सी. 711 के निर्णय को देखने के बाद स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि किसी पत्रिका या समाचार पत्र में विज्ञापन मात्र से ही न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं मिल जाएगा। उस संदर्भ में यह भी टिप्पणी की गई

कि वाद हेतुक केवल तभी उत्पन्न होगा जब अतिलंघनकारी माल का उपयोग किया जाता है, न कि जब पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाता है या लंबित होता है। यह उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों से स्पष्ट है:

> *"...वाद हेतुक केवल तभी उत्पन्न होगा जब पंजीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग किया जाता है, न कि तब जब व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन दायर किया जाता है। किसी दिए गए मामले में, पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन को अनुमति दी जा सकती है या नहीं भी दी जा सकती है। जिस व्यक्ति के पक्ष में पहले से ही निर्विवाद रूप से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, उसे निबंधक के समक्ष आवेदन दायर करके इसका विरोध करने का अवसर मिलेगा, जिसके पास उक्त प्रश्न का निर्धारण करने के लिए अपेक्षित अधिकार क्षेत्र है। दूसरे शब्दों में, एक वाद तब हो सकता है जब व्यापार चिह्न या प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन होता है, परंतु वाद दायर करने के लिए वाद हेतुक केवल इसलिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा क्योंकि व्यापार चिह्न पत्रिका या किसी अन्य पत्रिका में एक विज्ञापन जारी किया गया है, जो इस तरह के आवेदन को दायर करने के तथ्य को अधिसूचित करता है।*
>
> *xxxxxxxxxxxxx*
>
> *xxxxxxxxxxxxxxxxxx*
>
> *पटेल फ़ील्ड मार्शल (पूर्वोक्त) में फिर से ज़ोर व्यापार चिह्न पत्रिका और अन्य स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापार चिह्न के पंजीकरण के लिए अपीलार्थी द्वारा उत्पादों के विक्रय और/या विज्ञापन पर था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया कि क्या प्रतिवादी दिल्ली में अपने उत्पाद को व्यावसायिक पैमाने पर बेच रहा था या नहीं। इसलिए, हमारे लिए भी उक्त प्रश्न पर आगे विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है। <u>हमने</u>*

पहले भी उल्लेख किया है कि किसी पत्रिका या समाचार पत्र में छपने वाला विज्ञापन अपने आप में न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता, यदि उसके पास अन्यथा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है..."

(ज़ोर दिया गया)

इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिह्न पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित करने के आधार पर इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में वादी का तर्क अपर्याप्त है। *फ़ाइज़र* पर निर्भरता महत्वहीन है; *ढोधा हाउस* के उपरोक्त अंशों का उस निर्णय में उल्लेख नहीं किया गया। वादी, कम से कम, अंतर-पक्षीय निर्धारण के प्रकाश में, इस तरह की प्रस्तुतियाँ करने से वंचित है।

20. *डाबर* (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय को हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने स्वीकृति दी है (देखें *डाबर इंडिया बनाम के.आर. इंडस्ट्रीज़* 2008 (37) पी.टी.सी. 332 (एस.सी.)। पिछले निर्णय में, *सेक्टर ट्वेंटी-वन ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन बनाम एयर फ़ोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड,* 65 (1997) डी.एल.टी. 81 (डी.बी.) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी विशेष स्थान पर उत्पन्न होने वाले वाद हेतुक का एक तुच्छ या महत्वहीन भाग न्यायालय को वाद पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अनेक पूर्व उदाहरणों का उद्धरण देते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि अब ज़ोर उस व्यक्ति या प्राधिकरण के निवास या स्थान से हटकर, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, वाद हेतुक के उत्पन्न होने के स्थान पर केंद्रित हो गया है।

21. *गोल्ड सील इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाम हिंदुस्तान मैन्युफ़ैक्चरर्स,* ए.आई.आर. 1992 बॉम. 144, (ढोधा हाउस में उच्चतम न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया निर्णय, और अस्वीकृत नहीं किया गया) में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि प्रतिवादीगण कलकत्ता में व्यवसाय करते हैं और दिल्ली में माल की आपूर्ति वाणिज्यिक आधार पर होती है, तो बॉम्बे में नकल करने का वाद दायर नहीं किया जा सकता है। *गुप्ता ब्रदर्स कंडिट पाइप मैन्युफ़ैक्चरिंग कंपनी बनाम अनिल गुप्ता,* (2001) 24 पी.टी.सी. 159 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूँकि न तो वादी और न ही प्रतिवादीगण का दिल्ली में कोई कार्यालय है और न ही वे दिल्ली में कोई व्यवसाय कर रहे हैं, इसलिए अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण वाद वापस करना होगा। इसी तरह, इस न्यायालय ने *हरियाणा मिल्क फ़ूड्स बनाम चम्बल डायरी प्रोडक्ट्स,* (2002) 25 पी.टी.सी. 156 में अभिनिर्धारित किया कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का पता लगाने के उद्देश्य से पूरे वाद को ध्यान में रखना होगा। इस मामले में चूँकि वादी यह साबित नहीं कर सका कि प्रतिवादी का दिल्ली में कोई कार्यालय है या वह दिल्ली में व्यवसाय करता है, इसलिए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस मामले में निर्णय लेने के लिए उसके पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है।

22. *ए.बी.सी. लेमिनार्ट बनाम ए.पी. एजेंसीज़,* (1989) 2 एस.सी.सी. 163 में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वाद हेतुक तथ्यों का वह

समूह है, जो उन पर लागू विधि के साथ लिया जाता है, जो वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध राहत का दावा करने का अधिकार देता है। यदि ऐसा होता, तो नकल करने के मामले में वाद हेतुक तभी उत्पन्न होता जब प्रतिवादी आक्षेपित व्यापार चिह्न का उपयोग करता। अतिलंघन और नकल करने के लिए वाद हेतुक का उद्देश्य व्यापार चिह्न के स्वामी की साख की रक्षा करना है। यदि प्रतिवादी आक्षेपित चिह्न के अंतर्गत अपने माल का विपणन करता है, तो साख को प्रभावित या क्षतिग्रस्त माना जाता है। इसलिए, व्यापार चिह्न पत्रिका में केवल विज्ञापन जारी करना या आवेदन दायर करना या किसी विशेष स्थान पर व्यापार चिह्न का पंजीकरण कराना, अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि यह वाद हेतुक नहीं बन सकता। न्यायालय को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक रूप से कुछ वस्तुनिष्ठ तथ्य और न्यूनतम सामग्री (जिसे उच्चतम न्यायालय ने *ढोधा हाउस* में "वाणिज्यिक विक्रय" का अस्तित्व कहा है) होनी चाहिए।

23. जहाँ तक इस प्रतिविरोध का प्रश्न है कि आदेश 7 नियम 11 (या नियम 10) के अंतर्गत आवेदन पर निर्णय करते समय न्यायालय को केवल वादपत्र पर ही गौर करना चाहिए, यह न्यायालय *लिवरपूल और लंदन एस.पी. एंड आई. एसोसिएशन* (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से बंधा हुआ है, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादपत्र के साथ दायर दस्तावेज़ों की भी समीक्षा की जा सकती है, जिन्हें वाद का भाग माना जाता है:

> *"इस मामले में क्लब ने न केवल वादपत्र के साथ कुछ दस्तावेज़ संलग्न किए, बल्कि उसके साथ बड़ी संख्या में दस्तावेज़ भी दाखिल किए। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 के अनुसार उन दस्तावेज़ों को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (क) के अंतर्गत आवेदन के निपटान के उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना आवश्यक है।"*

वादपत्र में, इस न्यायालय को वाद पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए कोई और तथ्य या विवरण नहीं दिया गया है। जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, दिल्ली शहर में प्रतिवादी द्वारा आक्षेपित व्यापार चिह्न वाले माल के विक्रय के संबंध में पैरा 30 में किसी भी दस्तावेज़ द्वारा समर्थित नहीं, एक महत्वहीन दावा किया गया है। अभिवचन में या दस्तावेज़ों में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट नहीं किया गया है, जिसे वाद का भाग माना जाता है। *लल्ली एंटरप्राइज़ेज़* के निर्णय पर वादी का भरोसा महत्वहीन है। उचित सम्मान के साथ, यह आदेश अनुचित और अनुबंधित है, जब यह अनुशंसा करता है कि वादी को विक्रय के अतिलंघन के लिए कोई नकद ज्ञापन या अन्य साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुप्त विक्रय होता है। ढोधा हाउस को ध्यान में रखते हुए अधिकार क्षेत्र की ऐसी व्यापक धारणा अव्यवहारिक होगी, जो स्पष्ट रूप से न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रतिवादी द्वारा कुछ वाणिज्यिक विक्रय की कल्पना करता है, जो वाद हेतुक का एक भाग बनता है, ऐसे न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है।

24. उपरोक्त कारणों से, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान आवेदन को सफल होना चाहिए, तथा वाद को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस किया जाना चाहिए। इसलिए अं.आ. 13850/2006 को अनुमति दी जाती है; वाद तथा सभी लंबित आवेदन वापस किए जाते हैं। इस मामले की परिस्थितियों में, वादी को 30,000/- रुपये की राशि का जुर्माना वहन करना होगा, जिसे 2 सप्ताह के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के पास जमा करना होगा। न्यायालय में अनुपालन शपथपत्र दायर किया जाएगा।

तिथि: 20 अगस्त, 2008

एस. रविंद्र भट
(न्यायाधीश)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*